न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
प्रकरण संख्या – अपील 09/2023 (मैन्यूअल) 2023/13 (GCMS)

अपीलांट

1. श्री जेठूदान पुत्र तिलोकदान जाति बनाम चारण निवासी कोडा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंट

1. श्री तिलोकदान पुत्र आवडदान जाति चारण निवासी कोडा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ
3. भू.अ.निरीक्षक चेलक तहसील फतेहगढ
4. हल्का पटवारी रामा तहसील फतेहगढ
5. श्री कंवरलाल सारण पुत्र हरखाराम सारण जाति जाट निवासी भेंवालों की ढाणी काउ का खेडा, बाड़मेर

उपस्थित

1. श्री बसीर मोहम्द अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री देरावरसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01
3. श्री धर्माराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 05

दिनांकः– 08.12.2025

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 10.02.2023 ग्राम कोडा, जो तहसीलदार फतेहगढ द्वारा स्वीकृत किया गया है,के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 घोषणा व बंटवारा का न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष पेश किया हुआ है। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम कोडा के हाल खसरा संख्या 36, 119, 367, 372 कुल रकबा 133–14 बीघा अपीलांट के स्वर्गीय दादा आवडदान की पुश्तैनी भूमि है और उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट के पिता तिलोकदान व उनके अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुयी। हिन्दू विधि के अनुसार पैतृक संपति पर पुत्र के जन्म से अधिकार होने के कारण पिता के अधिकार सीमित रहते है तथा खसरा संख्या 372 ग्राम कोडा की भूमि स्वंय तिलोकदान द्वारा अपने बडे पुत्र अपीलाण्ट जेठूदान को ठेकानामा पर दिनांक 14.11.2018 को दी गयी थी जिस पर उसने हजारों रूपये लगाकर कुआ खुदवाया, डीपी लगवायी , तमाम खर्चे किये और उसका सुख लाभ बराबर लेता आ रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तिलोकदान अपने छोटे पुत्र कैलाशदान के दबाव में आकर सारी भूमि को अपने परिवार वालों की बिना स्वीकृति के बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता था तब रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तिलोकदान को भूमि बेचान से रोकने के लिये मौका एव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं भूमि के बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा दिनांक 23.11.2022 को विवादग्रस्त संपूर्ण भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करे, बेचान व खुर्दबुर्द न करें, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.12.2022 तक की जारी की गयी। उक्त स्थगन आदेश की प्रति रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को उसी दिन प्रस्तुत कर दी गयी थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 05 ने तहसीलदार फतेहगढ से मिलावट कर स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुये दिनांक 24.11.2022 को विवादग्रस्त भूमि में से खसरा संख्या 119 की कुछ भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वीकार करवाया गया। इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जी व शून्यकरणीय की परिभाषा में आता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा स्थगन आदेश को न मानने पर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा दिनांक 04.01.2023 को तारीख पेशी 20.01.2023 का नोटिस रेस्पोडेण्ट संख्या 01 श्री तिलोकदान को हेतुक दर्शित करने के लिये भेजा गया, मगर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने नोटिस की तामील के उपरांत भी कोई परवाह नहीं की। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा विवादित उक्त खसरान की भूमि में

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
प्रकरण संख्या – अपील 09/2023 (मैन्यूअल) 2023/13 (GCMS)

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के छोटे पुत्र कैलाशदान के द्वारा प्रस्तुत दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.07.2019 को भी विवादित भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के अदेश पारित किये गये थे। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा पारित स्थगन आदेश अंतर्गत धारा 212 की नियत तारीख पेशी दिनांक 20.01.2023 को वादी की अनुपस्थिति में स्थगन आदेश को गलत व गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया जिसके विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के द्वारा दिनांक 01.02.2023 को विवादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। स्थगन आदेश की प्रति पक्षकारों को एवं तहसीलदार फतेहगढ को दिनांक 08.02.2023 को मिल चुकी थी लेकिन तहसीलदार फतेहगढ ने इस आदेश की अनदेखी कर रेस्पोडेण्ट तिलोकदान व रेस्पोडेण्ट कंवरलाल से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 10.02.2023 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार नामान्तकरण सरासर गलत व गैरकानूनी व फर्जी तरीके से न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर स्वीकृत किया गया है, जो शून्यकरणीय की परिभाषा में होने से निरस्ती योग्य है। अपीलाण्ट को जानकारी नामान्तकरण स्वीकृत करने की जानकारी दिनांक 18.03.2023 को हुयी और उसी दिन पटवारी हल्का से नामान्तकरण की प्रति प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट के द्वारा अपील के सलग्न धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित नामान्तकरण की जानकारी 18.03.2023 को ही हुयी है, उससे पूर्व अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। जब अपीलाण्ट पटवारी के पास जाता तो वे मुगालते में रखते और यही कहते कि म्यूटेशन रूका हुआ है लेकिन बाद में पता चला कि पटवारी ने हमेशा गुमराह किया सही स्थिति की जानकारी कभी नहीं दी। अपीलाण्ट गरीब काश्तकार है और उसका मुख्या धंधा खेतीबाड़ी है व ग्रामीण व्यक्ति है कानून से अनभिज्ञ होने से अपील करने की म्याद आदि जानकारी नहीं होने से कारित विलम्ब को क्ष्म्य किये जाने का अनुरोध करते हुये विवादग्रसत नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम कोडा स्वीकृत दिनांक 10.02.2023 को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलंब के संबधं में धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर फरमाते हुये अपील म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया गया। अपील के संबधं में प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 29.05.2024 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि है, जिसके भूमि विभाजन हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष विचाराधीन चल रहा था। भूमि विभाजन वाद के विचाराधीन रहने के दौरान भूमि का विक्रय विलेख एवं उसके संदर्भ में नामान्तकरण की कार्यवाही रेस्पोडेण्ट संख्या 02 तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा रोक देनी चाहिये थी। उसके पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2023 के प्रभावी रहने के दौरान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 10.02.2023 गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने और मामले को निष्पक्ष जॉच करने के लिये अपीलांट को सम्पूर्ण अपने दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने व साक्ष्य गवाही पेश करने का अवसर देते हुये मामला तहसीलदार फतेहगढ के पास पुनः विचार हेतु भेजे जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 श्री तिलोकदान की ओर से अधिवक्ता श्री देरावरसिंह भाटी और रेस्पोडेण्ट संख्या 05 श्री कंवरलाल सारण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्माराम चौधरी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र केवल मात्र औपचारिकता है उसमें जो विलंब के कारण बताये है, वे बिल्कुन विश्वसनीय व संतोषजनक नही है। अतः परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के द्वारा अपील के संदर्भ में कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि के संबधं में घोषणा खातेदारी एवं विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष विचाराधीन है। न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 23.11.2022 को प्रार्थी (अपीलांट) के पक्ष में व विप्रार्थी (रेस्पोडेण्ट) के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हुयी थी कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी (अपीलांट) के हिस्से की भूमि में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक ही थी। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 हिन्दू विधि से शासित है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 में वर्ष 2005 में संशोधन के अनुसार हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि जोत में पुत्र की तरह पुत्री भी सह दायिक है जो पैतृक संपति में पुत्र के बराबर हिस्से की अधिकारिणी है। विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 119

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 09/2023 (मैन्यूअल) 2023/13 (GCMS)

का रकबा 30–08 बीघा है जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने शेष सहदायिकों की सहमति से रकबा 25 बीघा का पंजीबद्व बैचान किया गया है। हिन्दू उतराधिका अधिनियम अनुसार अपीलांट का अपीलाधीन खसरा नम्बर 119 रकबा 30–08 बीघा में छठा हिस्सा बनता है, जिसके अनुसार अपीलांट के हिस्से में 05–01 बीघा भूमि आती है जो अपीलांट के हिस्से की सीमा तक मौके पर उपलब्ध है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के प्रकरण संख्या 39/2022 अनवान जेठूदान बनाम तिलोकदान में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.11.2022 तक प्रार्थी (अपीलांट) के हिस्से तक प्रभाव में ही रही है। वाद में स्थगन आदेश इस आशय का था कि प्रार्थी (अपीलाण्ट) के हिस्से में हस्तक्षेप न किया जाये। प्रार्थी(अपीलांट) का पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा 1/6 है, जो सुरक्षित है। वादग्रस्त आराजी बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के विरूद्व उनके छोटे पुत्र कैलाशदान ने सक्षम न्यायालय में कोई वाद व स्थगन आवेदन पेश किया हो तो उसका इस नामान्तकरण अपील से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर में प्रस्तुत अपील एवं उसमें पारित आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 की कार्यशैली के प्रति असंतोष प्रकट किया गया है उसका निराकरण इस अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त नामान्तकरण पंजीबद्व विक्रय विलेख के आधार पर भरा गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण को खारिज करने के जो आधार इस अपील में बताये है वे निराधार है, नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है जिसमे किसी प्रकार के सम्पति के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत सक्षम न्यायालय में विचाराधीन खातेदारी घोषणा के वाद में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिये यह नामान्तकरण अपील निराधार होने से खारिज योग्य है। लिखित बहस के सलग्न न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2004 पेज 458 राधे श्याम बनाम चन्द मोहन व आर आर डी 1994 पेज 22 में प्रतिपादित किया गया है कि जब भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की गयी हो तो कब्जा संभालना विक्रय पत्र में लिखा हो तब राजस्व अधिकारी के समक्ष नामान्तकरण स्वीकार करने के सिवाय अन्य विकल्प नहीं है तथा राजस्व अधिकारी को नामान्तकरण स्वीकार करना ही होगा। तथा यह भी निर्धारित किया गया है कि नियमानुसार खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करके प्रकरण को दावे के निर्णय तक लंबित छोड़ देना न्यायोचित नहीं है दावे के निर्णय में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन हो जाएगा दावे के निर्णय तक नामान्तकरण को यथावत बहाल रखना उचित है।

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा विवादग्रस्त भूमि विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विवादग्रस्त भूमि के अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण पंजीबद्व विकय विलेख के आधार पर खोला गया है। पंजीबद्व विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहने की स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर